ए.

एस. पी. वेलुमनी बनाम

अरपोर इयक्कम और ओआरएस। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 867) 20 मई, 2022

बी.

[एन. वी. रमना, सीजेआई, कृष्णा मुरारी और हिमा कोहली, जे. जे.]

जाँच:पुलिस अधीक्षक की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट-खुलासा न करना-तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता-कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में, उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया और जिसने बदले में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की-उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट प्राप्त की, हालांकि, अपीलकर्ता को इसकी एक प्रति प्रस्तुत किए बिना, बिना किसी समारोह के रिट याचिका को बंद कर दिया-आयोजित:जब राज्य ने किसी ऐसे विशिष्ट विशेषाधिकार का अनुरोध नहीं किया है जो पहले की प्रारंभिक अनुसंधान में उपयोग की गई सामग्री के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने की अनुमति देने का कोई उचित कारण नहीं है-यह उच्च न्यायालय ही था जिसने आदेश दिया था कि प्रारंभिक अनुसंधान की जाए और विशेष अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए-हालांकि, एक बार अनुसंधान पूरी हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय उक्त रिपोर्ट पर विचार करने में भी विफल रहा-बल्कि, उच्च न्यायालय ने निर्णय को पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथों में छोड़ दिया-इस तरह के दृष्टिकोण को कानून में गिना नहीं जा सकता है-जब राज्य सरकार ने अपना रुख बदल दिया कि अब वे मामले में आगे की अनुसंधान करने का इरादा रखते हैं, तो उच्च न्यायालय ने न तो अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का अवसर प्रदान किया, और न ही बचाव करने का अनुरोध किया।13(2) ,13(1)(ग) और 13 (1) (घ)-दंड संहिता।109, 120, 409 और 420-ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** उच्च न्यायालय ने मामले को अपने तार्किक निष्कर्ष पर नहीं ले जाने में एक पेटेंट त्रुटि की है।अपने समक्ष की सामग्री पर विचार किए बिना, और केवल राज्य द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने व्यापक टिप्पणियां कीं जो अपीलार्थी के लिए प्रतिकूल हैं।यह उच्च न्यायालय ही था जिसने आदेश दिया था कि प्रारंभिक जांच की जाए और एफ. आई. सी. आर. की विशेष जांच द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।हालांकि, जब तक पूरा नहीं हुआ, उच्च न्यायालय उक्त रिपोर्ट का अध्ययन करने में भी विफल रहा। बल्कि, उच्च न्यायालय ने निर्णय को पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथों में छोड़ दिया।उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस तरह के दृष्टिकोण को कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **20] [1075-**एफ-जी**]**

बी.

सी.

1.2.यह एक स्थिर सिद्धांत है कि राज्य एक ही समय में गर्म और ठंडा हवा नहीं चला सकता है।जब राज्य सरकार ने अपना रुख बदला, तो उच्च न्यायालय ने न तो अपीलार्थी को अपना बचाव करने का अवसर प्रदान किया, न ही राज्य से कछुआ बनने के लिए कोई तर्कपूर्ण औचित्य माँगा।हालाँकि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को रिट कार्यवाही में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, लेकिन राज्य ने **09.08.2021** पर उक्त एफ़. आई. आर. दर्ज करने में जल्दबाजी की।**[**पैरा **21] [1075-**एच; **1076-**ए-बी**] 1.3**। राज्य द्वारा दायर प्रारंभिक हलफनामा स्पष्ट था कि वे अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते थे।हालांकि राज्य द्वारा बाद में रुख में बदलाव स्पष्ट रूप से प्रारंभिक हलफनामे द्वारा लाई गई अपेक्षा के विपरीत है।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों ने मांग की कि अपीलार्थी को उस सामग्री के आधार पर अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिया जाए जिसने उसे शुरू में दोषमुक्त कर दिया था, जिसे मूल रूप से राज्य द्वारा स्वीकार किया गया था।**[**पैरा **22] [1076-**बी-सी**]**

डी.

ई.

एफ.

1.4.राज्य ने तर्क दिया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा सी. आर. पी. सी. की धारा **207** के संदर्भ में संज्ञान लेने के बाद ही अभियुक्त रिपोर्ट प्राप्त करने का हकदार होगा और उपरोक्त धारा के

दायरे से बाहर दस्तावेजों का कोई भी प्रदर्शन कानून में असमर्थनीय है।राज्य का विवाद सामान्य परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकता है जिसमें ए

जी.

एच.

1069

एस. पी. वेलुमनी बनाम अरपोर इयक्कम और ओ. आर. एस.

मजिस्ट्रेट द्वारा सी. आर. पी. सी. की धारा **207** के संदर्भ में संज्ञान लेने के बाद अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेजों का हकदार है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **207** के आदेश को अपीलार्थी-अभियुक्त के अधिकारों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन करने के लिए पत्थर में उकेरे गए प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।**[**पारस **24,26] [1076-**डी-एच**; 1077-**ए**]**

बी.

इन रेःअपर्याप्तता और कमियां बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश और ओ. टी. उनका (202 1) 10 एस. सी. सी. 598-विशिष्ट।

सी.

1.5.इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा अभियोजन निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के अनुरूप तरीके से किया जाना चाहिए**,** जैसा कि संविधान के अनुच्छेद **21** के तहत निहित है।**[**पैरा **27] [1077-**ए**-**बी**]**

1.6 जब राज्य ने किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अनुरोध नहीं किया है जो पहले की प्रारंभिक अनुसंधान में उपयोग की गई सामग्री के प्रकटीकरण को रोकता है**,** तो उच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने की अनुमति देने का कोई उचित कारण नहीं है।**[**पैरा **28] [1077-**बी**-**सी**]**

डी.

1.7.तत्काल मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए**,** विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय ने एक जांच का आदेश दिया था और अपीलार्थी को इसकी एक प्रति प्रस्तुत किए बिना एक रिपोर्ट प्राप्त की थी और रिट याचिका को अनौपचारिक रूप से बंद कर दिया था**,** निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैंःकि उच्च न्यायालय को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ

अपीलार्थी को देने का निर्देश दिया गया है**;** कि **2018** की रिट याचिका सं**. 34845** और **2018** की **Crl.O.P.** संख्या **23428** को मद्रास उच्च न्यायालय की फाइल पर बहाल किया गया है**;** और यह कि उच्च न्यायालय किसी भी अवलोकन से अप्रभावित है**,** किसी भी मामले से प्रभावित नहीं है।**[**पैरा **29] [1077-**सी**-**ई**]** मामला विधि संदर्भ

ई.

एफ.

जी.

(2021) 10 एस**.** सी**.** सी**. 598**

प्रतिष्ठित

पैरा **26**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील No.867।

एच.

1070

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

ए.

2018 की रिट याचिका No.34845 में मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.11.2021 से।

वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ

वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताअपीलार्थी के लिए।रंजीत कुमार, वी. कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता।, गौतम नारायण, सुश्री स्मिता सिंह, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा, सुश्री जेसिका भारद्वाज, क्षितिज मित्तल, डी. कुमानन, शेख एफ. कालिया, सुश्री रुचि कृष्ण चौहान, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, सीजेआई

सी.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2018 की रिट याचिका संख्या 34,45 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के विवादित आदेश के खिलाफ दायर की गई है। 3.इस विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:अपीलार्थी 2014 से तमिलनाडु राज्य में कैबिनेट मंत्री थे।11.09.2018 पर, श्री आर. एस. भारती ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय में शिकायत दर्ज कराई।उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक याचिका भी दायर की, जो 2018 का Crl.O.P. संख्या 23428 है।अगले ही दिन, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय और एस. पी., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सी. बी. आई. के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। चूंकि उपरोक्त अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 के डब्ल्यू. पी. संख्या 34845 के रूप में पंजीकृत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय को उनके द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करने और अनुसंधान के उद्देश्य से एक एस. आई. टी. का गठन करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है कि रिट याचिका और Crl.O.P. दोनों को टैग किया गया था और एक साथ सुना गया था।

डी.

ई.

एफ.

4. मोटे तौर पर, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप यह है कि जब वह एक मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उन पर निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और यह सुनिश्चित करने का आरोप है कि उनके करीबी सहयोगियों को निविदाएं दी जाएं।

जी.

5. जब उपरोक्त रिट याचिका पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, तो उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और उसमें प्रत्यर्थीगण को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।18.10.2019 पर, जब A

एच.

1071

एस. पी. वेलुमनी बनाम अरपोर इयक्कम और ओ. आर. एस. [एन. वी. रमना, सीजेआई] ए

उपरोक्त रिट याचिका सुनवाई के लिए आई, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका के आलोक में कि चौथा प्रत्यर्थी मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्रियों में से एक है और अनुसंधान एक अधिकारी द्वारा की जा रही है जो पुलिस उपाधीक्षक के पद पर है, इस न्यायालय का विचार है कि इसके बाद प्रारंभिक अनुसंधान सुश्री पोन्नी, आई. पी. एस., पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा की जाएगी और प्रारंभिक अनुसंधान में हो रही प्रगति की निगरानी सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक द्वारा की जाएगी।14. सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक इस न्यायालय के अवलोकन के लिए सीलबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जांच में हुई प्रगति के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।”

बी.

सी.

6. तदनुसार, 01.11.2019 पर, उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन पर, उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए समय दिया।

डी.

7. 16.12.2019 पर, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी ने प्रारंभिक जांच पूरी की और सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक को एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक को सुनवाई की अगली तारीख से पहले उपरोक्त जांच रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया।

ई.

8. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस बीच 17.02.2020 पर राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 के डब्ल्यू. पी. सं. 34845 में 2020 के डब्ल्यू. एम. पी. सं. 4747 के रूप में एक आवेदन दायर किया, जिसमें निम्नानुसार संकेत दिया गया हैः- "9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन तथ्यों को रिकॉर्ड में लाया जा रहा है और यह याचिकाकर्ता का निवेदन है कि कानून द्वारा विचार की गई सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, तमिलनाडु सरकार ने प्रारंभिक जांच पर रिपोर्ट को स्वीकार करने का फैसला किया, जो इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि संज्ञेय अपराध का अपराध नहीं किया गया था।

एफ.

जी.

XXX

उपरोक्त के आलोक में, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय उपरोक्त तथ्यों को रिकॉर्ड पर ले और इन तथ्यों का निपटारा करे।

एच.

1072

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

रिट याचिका को निष्फल बताते हुए और ऐसे अन्य आदेश/आदेश पारित करते हुए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे और इस प्रकार न्याय प्रदान करे।"

9. तदनुसार, 19.02.2020 पर, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दायर शीर्षक आवेदन में निम्नलिखित आदेश पारित कियाः- "3. उक्त विकास के आलोक में, रिट याचिका में याचिकाकर्ता/दूसरा प्रत्यर्थी रिट याचिका को निष्फल होने के रूप में निपटाने के लिए उचित आदेशों के लिए प्रार्थना करता है।

बी.

विद्वान अधिवक्ता 4 विद्वान अधिवक्ता .विद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता पविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता थविद्वान अधिवक्ता मविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता पविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता तविद्वान अधिवक्ता िविद्वान अधिवक्ता वविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता दविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता /विद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता िविद्वान अधिवक्ता टविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता यविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता चविद्वान अधिवक्ता

िविद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता तविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ओविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता उविद्वान अधिवक्ता पविद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता थविद्वान अधिवक्ता िविद्वान अधिवक्ता तविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ववविद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता लविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता डविद्वान अधिवक्ता ॉविद्वान अधिवक्ता .विद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ववविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता .विद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता ुविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता शविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता जविद्वान अधिवक्ता ववविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता बविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हविद्वान अधिवक्ता लविद्वान अधिवक्ता फविद्वान अधिवक्ता नविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता मविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता दविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता यविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता नविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता लविद्वान अधिवक्ता िविद्वान अधिवक्ता एविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता सविद्वान अधिवक्ता मविद्वान अधिवक्ता यविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता ीविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता पविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता ्विद्वान अधिवक्ता थविद्वान अधिवक्ता नविद्वान अधिवक्ता ाविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कविद्वान अधिवक्ता रविद्वान अधिवक्ता तविद्वान अधिवक्ता ेविद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हविद्वान अधिवक्ता ैविद्वान अधिवक्ता ंविद्वान अधिवक्ता ।विद्वान अधिवक्ता

सी.

5. सरकार द्वारा स्वीकार किए गए सतर्कता आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को इस अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा।"

10. जैसे-जैसे मामला खड़ा हुआ, राज्य सरकार की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया। दिलचस्प बात यह है कि राज्य ने कैग की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए बाद में अपने पहले के रुख से पीछे हट गया।उच्च न्यायालय ने अपना दिमाग लगाए बिना 19.07.2021 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

डी.

"3. राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि ठेकेदारों और सामान्य रूप से अनुबंधों के प्रदर्शन ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ध्यान आकर्षित किया है और प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं।राज्य का कहना है कि वह इस मामले की जांच करेगा ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाए।अनुसंधान करने के उद्देश्य से, राज्य कुछ समय मांगता है।4. मामला अक्टूबर, 2021 के दूसरे सप्ताह में सामने आने दें।राज्य को मामले की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

ई.

एफ.

5. इस बीच प्रत्यर्थीगणओं द्वारा जवाबी-हलफनामा दायर किया जा सकता है।"

जी.

11. उपरोक्त टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, राज्य ने 17 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 120 बी आर/डब्ल्यू धारा 420 और 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (सी) और 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू धारा 109 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें अपीलार्थी भी शामिल है।

एच.

1073

एस. पी. वेलुमनी बनाम अरपोर इयक्कम और ओ. आर. एस. [एन. वी. रमना, सीजेआई] ए

ए.

12. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका में 2021 की डब्ल्यू. एम. पी. संख्या 24569 के रूप में एक आवेदन दायर किया, जिसमें सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की पुलिस अधीक्षक सुश्री आर. पोन्नी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों की प्रति के साथ-साथ सतर्कता आयोग द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति मांगी गई है।

बी.

13. उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.11.2021 के विवादित आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए, पूरे मामले का निपटारा किया और निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

"6. 2018 के डब्ल्यू. पी. No.34845 में चौथे प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार करना अच्छा हो सकता है ताकि प्रारंभिक रिपोर्ट की एक प्रति चौथे प्रत्यर्थी को तुरंत सौंपी जा सके।कानून को अपना काम करने देना चाहिए।अनुसंधान पूरी होने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक रिपोर्ट दायर की जाएगी और ऐसी रिपोर्ट अगले दस हफ्तों के भीतर दायर की जानी चाहिए, चाहे वह आरोप पत्र के रूप में हो या अंतिम रिपोर्ट के रूप में।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 के तहत चौथे प्रत्यर्थी को सामग्री सौंपे जाने के

क्रम में, यदि प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए मांगे गए किसी भी आरोप का आधार बनती है, तो ऐसी प्रारंभिक रिपोर्ट की एक प्रति चौथे प्रत्यर्थी को सौंपी जा सकती है और यह संबंधित आपराधिक अदालत के लिए भी खुला होगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या याचिकाकर्ता भी इसकी एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

सी.

डी.

ई.

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेशों के दौरान की गई टिप्पणियों को चौथे प्रत्यर्थी के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए, यदि अंततः उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर किया जाना था या कोई आरोप तय किया जाना था।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसंधान लगभग समाप्त हो चुकी है और चूंकि आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट अगले दस हफ्तों के भीतर दायर की जानी है, इन याचिकाओं को जीवित रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

एफ.

8. तदनुसार, 2018 का डब्ल्यू. पी. No.34845 और 2018 का Crl.O.P. No.23428 बंद हैं।नतीजतन, 2020 का डब्ल्यू. एम. पी. Nos.4747 और 2021 का 24569 बंद हैं।”

जी.

14. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।यह ध्यान देने योग्य नहीं होगा कि अपीलार्थी ने उपरोक्त एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष Crl.M.P.No.56512/2022 भी दायर किया है।

एच.

15. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मौखिक रूप से और लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से निम्नलिखित तर्क दिए:-

(i) अपीलार्थी को दस्तावेज़ न देने का कोई कारण नहीं है क्योंकि राज्य ने यह दावा नहीं किया है कि दस्तावेज़ विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

बी.

((ii) तमिलनाडु राज्य द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (इसके बाद "सीएजी") की दो रिपोर्टों पर निर्भरता गलत है क्योंकि उपरोक्त रिपोर्ट में कोई आपराधिकता का खुलासा नहीं किया गया है।

((iii) केवल कैग रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकियां दर्ज नहीं की जा सकती हैं।

सी.

((iv) अपीलार्थी को आरोपों का प्रतिवाद करने का अवसर दिया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय की कुछ सामान्य टिप्पणियों के आधार पर राज्य जल्दबाजी में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता था।

डी.

(v) यह मामला शासन प्रतिशोध का एक स्पष्ट मामला है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्य ने अपीलार्थी के खिलाफ प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अपनी प्रारंभिक स्थिति को बदल दिया है।

16. इसके विपरीत, तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि:-

ई.

(i) कानून का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो Cr.P.C की धारा 207 के तहत विचार किए गए चरण से पहले प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है। हालाँकि, अभियुक्त को आरोप तय करते समय भरोसेमंद दस्तावेज दिए जाएंगे, जिसमें वह उचित कानूनी सहारा ले सकता है।

एफ.

((ii) एफ. आई. आर. कैग रिपोर्ट के आलोक में की गई एक नई जांच के आधार पर दर्ज की गई थी, न कि केवल उपरोक्त रिट याचिका में दायर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर।

जी.

17. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि हमारे सामने एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें बाद की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे सामने इस पर जोर नहीं दिया है।उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों को केवल पहलू ए तक सीमित कर दिया है।

एच.

सुश्री पोन्नी, आई. पी. एस., पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय और सहायक दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का खुलासा न करने के संबंध में।तदनुसार, हम अकेले इस पहलू से निपटने का इरादा रखते हैं।

18. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों को देखने के बाद, हम ध्यान दे सकते हैं कि इस मामले के तथ्य स्पष्ट हैं।शुरू में, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी और उसके बाद, शिकायत में लगाए गए आरोपों की अनुसंधान के लिए उनके द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी।जब मामला उच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया, तो उसने एक जिम्मेदार अधिकारी, सुश्री पोन्नी, पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक द्वारा जांच का निर्देश दिया।तदनुसार, न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी ने सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी निदेशक को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिन्होंने सीलबंद लिफाफे में उच्च न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।इस बीच, सरकार ने अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर मामले को बंद करने का निर्णय लिया।इस मुद्दे पर फैसला करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने मामले को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया।19. हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न कारणों से, मामले को 19.07.21 तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका।इस बीच राज्य सरकार बदल गई थी।घटनाओं के मोड़ पर, राज्य सरकार आपराधिक मामले को बंद करने के लिए अपने पहले के रुख से पीछे हट गई।इसके बजाय, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे उपरोक्त मामले में आगे की अनुसंधान करने का इरादा रखते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

20. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने मामले को अपने तार्किक निष्कर्ष पर नहीं ले जाने में एक पेटेंट त्रुटि की है।अपने समक्ष की सामग्री पर विचार किए बिना, और केवल राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने व्यापक टिप्पणियां की हैं जो अपीलार्थी के लिए प्रतिकूल हैं।यह उच्च न्यायालय ही था जिसने आदेश दिया था कि प्रारंभिक जांच की जाए और विशेष जांच अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।हालांकि, एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय उक्त रिपोर्ट पर गौर करने में भी विफल रहा।बल्कि, उच्च न्यायालय ने निर्णय को पूरी तरह से राज्य सरकार

के हाथों में छोड़ दिया।वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस तरह के दृष्टिकोण को कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

एफ.

जी.

21. यह एक स्थिर सिद्धांत है कि राज्य एक ही समय में गर्म और ठंडा हवा नहीं चला सकता है।जब राज्य सरकार ने अपना रुख बदला, तो

एच.

उच्च न्यायालय ने न तो अपीलार्थी को अपना बचाव करने का अवसर प्रदान किया, न ही राज्य से कछुआ बनने के लिए कोई तर्कपूर्ण औचित्य माँगा।हालाँकि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को रिट कार्यवाही में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, लेकिन राज्य ने 09.08.2021 पर उपरोक्त एफ़. आई. आर. दर्ज करने में जल्दबाजी की।

22. यह उल्लेखनीय है कि राज्य द्वारा दायर प्रारंभिक हलफनामा स्पष्ट था कि वे अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते थे।हालांकि, राज्य द्वारा बाद में रुख में बदलाव स्पष्ट रूप से प्रारंभिक हलफनामे द्वारा लाई गई अपेक्षा के विपरीत है।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों ने मांग की कि अपीलार्थी को उस सामग्री के आधार पर अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिया जाए जिसने उसे शुरू में दोषमुक्त कर दिया था, जिसे मूल रूप से राज्य द्वारा स्वीकार किया गया था।

बी.

सी.

23. इसलिए, एकमात्र मुद्दा जिस पर इस न्यायालय के विचार की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या इसमें अपीलार्थी वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में प्रारंभिक रिपोर्ट का हकदार है।

24. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा सी. आर. पी. सी. की धारा 207 के संदर्भ में संज्ञान लेने के बाद ही अभियुक्त रिपोर्ट प्राप्त करने का हकदार होगा। उस पर भरोसा किया है

डी.

रीःअपर्याप्तता और कमियों के संबंध में आपराधिक परीक्षण दिशानिर्देश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**, (2021) 10** एस**.** सी**.** सी**.**

598 यह तर्क देना कि अभियुक्त केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के संदर्भ में दस्तावेजों की मांग करने का हकदार है और उपरोक्त धारा के दायरे से बाहर दस्तावेजों का कोई भी प्रदर्शन कानून में असमर्थनीय है।

ई.

25. दूसरी ओर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले को इस तथ्य पर अलग किया है कि बाद की प्राथमिकी प्रत्यक्ष न्यायिक हस्तक्षेप के कारण दर्ज की गई थी।

एफ.

26. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि राज्य का तर्क सामान्य परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकता है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के संदर्भ में संज्ञान लेने के बाद अभियुक्त अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेजों का हकदार है। हालाँकि, इस मामले को इसके तथ्यों के आधार पर आसानी से अलग किया जा सकता है। वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. की शुरुआत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही से होती है, जिसमें राज्य ने अपने स्वयं के हलफनामे और उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के विपरीत इस मुद्दे की फिर से जांच करने का विकल्प चुना है, जिसमें कहा गया है कि संज्ञेय अपराध नहीं किया गया था।इस पृष्ठभूमि में हमारा मानना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के आदेश को गंभीर ए का कारण बनने के लिए पत्थर में उकेरे गए प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

जी.

एच.

1077

एस. पी. वेलुमनी बनाम अरपोर इयक्कम और ओ. आर. एस. [एन. वी. रमना, सीजेआई]

अपीलार्थी-अभियुक्त के अधिकारों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन।

27. एक अलग दृष्टिकोण से देखने पर, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा अभियोजन निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के अनुरूप तरीके से किया जाना चाहिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित है।28. जब राज्य ने किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अनुरोध नहीं किया है जो पूर्व प्रारंभिक अनुसंधान में उपयोग की गई सामग्री के प्रकटीकरण को रोकता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने की अनुमति देने का कोई उचित कारण नहीं है।

बी.

29. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और तत्काल मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय ने एक जांच का आदेश दिया था और अपीलार्थी को इसकी एक प्रति प्रस्तुत किए बिना एक रिपोर्ट प्राप्त की थी और बिना किसी समारोह के रिट याचिका को बंद कर दिया था, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:-

सी.

ए। उच्च न्यायालय को पुलिस अधीक्षक सुश्री आर. पोन्नी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ अपीलार्थी को देने का निर्देश दिया गया है।

डी.

बी। 2018 की रिट याचिका सं. 34845 और 2018 की Crl.O.P. संख्या 23428 मद्रास उच्च न्यायालय की फाइल पर पुनर्स्थापित की गई हैं।ग. उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मामलों का निपटारा अपनी योग्यता के आधार पर करे, जो इसमें की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित न हो।घ. यद्यपि एफ. आई. आर. को रद्द करने की प्रार्थना इस न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से नहीं की गई थी, तथापि, अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष उचित उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है।30. तदनुसार, अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

ई.

एफ.

निधि जैन

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

जी.

एच.